ह्वेल शार्क
(सतपती)

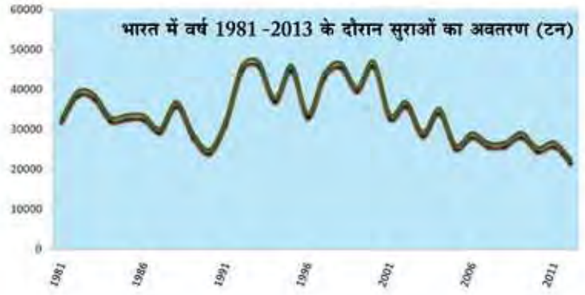

इन जाति मछलियों का प्रग्रहण या विपणन करने पर 25,000 रुपए का जुर्माना सहित सात वर्ष के कारावास का दंड दिया जाएगा। इन जातियों के जीवित या मृत स्थिति में, जाने या अनजाने पकडे गए नमूनों को निकटतम वन्य जीव कार्यालय में सर्मपित किया जाना है और इन जीवों की जीवसंख्या विशेषताओं पर अध्ययन में सहायक होने हेतु इसके बारे में सी एम एफ आर आइ के निकटतम अनुसंधान केन्द्र में सूचित किया जाना चाहिए। जीवित नमूनों को समुद्र में वापस छोडने के लिए हर प्रयास किया जाना चाहिए।

लार्ज टूथ सॉफिश
(माल्पे)

सुरा जातियों की 97% मछलियाँ मानव को नुकसान न देने वाली हैं। हमें भी उनको नुकसान न देना चाहिए।

इन मछलियों को जीवित रहने के लिए हमारी मदद और संरक्षण चाहिए।

हमारे समुद्रों में यह मछली जाति विपुलता से जीवित रहने के लिए हम एक साथ प्रयास करें।

याद रखें, इनकी जीवसंख्या का परिरक्षण करने से हम एक स्वास्थ्यपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र कायम रखने में योगदान कर रहे हैं।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:
निदेशक
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान
डेयर, भारत सरकार
पी.बी.संख्या 1603, एरणाकुलम नोर्त पी.ओ.
कोचीन-682018

तैयारी:
शोभा जो किषकूडन, जी.बी.पुरुषोत्तमा, के.एस.एस.एम.यूसफ, पी.यु.ज़क्करिया और रेखा जे.नायर
तलमज्जी मात्स्यिकी प्रभाग, सी एम एफ आर आइ

अनुवाद: ई.के.उमा
रूपकल्पना: अभिलाष पी.आर.

प्रकाशन तैयारी और समन्वयन: पुस्तकालय एवं प्रलेखन केन्द्र
सी एम एफ आर आइ पाम्फलेट सं. 37/2015

भाकृअनुप ICAR
सी एम एफ आर आइ CMFRI

सुराओं को बचाएं

S.O.S
Save Our Sharks

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान
डेयर, भारत सरकार
पी बी सं.1603, एरणाकुलम नोर्त पी. ओ.
कोच्ची - 682 018 केरल, भारत

सुरा तथ्य

मानव का विकास होने से पहले सुरा मछलियाँ, जिन्होंने समुद्र पर राज किया था, समुद्र की राजसी मछलियाँ थी।

ये अन्य हड्डीदार मछलियों से भी अधिक प्राचीन मछलियाँ हैं।

ये 400,000,000 से अधिक वर्षों से लेकर विश्व के महासागरों में तैरती रही हैं।

प्रथम मानव का विकास लगभग 200,000 वर्ष पहले ही हुआ था।

ये समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर संतुलन कायम रखने के लिए आवश्यक शीर्षस्थ परभक्षी हैं।

ऐसा माना जाता है कि विश्व महासागरों में सुराओं की करीब 500 प्रजातियाँ मौजूद हैं।

आज, अधिकांश प्रजातियों में से केवल 10% मछलियाँ बच

अधिकांश सुराएं दीर्घ काल तक जीने वाली और बड़े आकार तक बढ़ने वाली हैं।

ये बहुत धीरे परिपक्वन होने वाली हैं और इनका पुनरुत्पादन चक्र भी बहुत मंद गति का है।

साधारणतया अधिकांश सुरा प्रजातियाँ उनके शरीर के आकार के लगभग 50% या इस से अधिक आकार की बढ़ती में परिपक्व होती हैं।

इनकी गर्भावधि एक वर्ष या इस से अधिक काल तक लंबी है।

एक समय जन्म देनेवाले संततियों की संख्या बहुत कम है, प्राय: 2-15 तक सीमित है।

सुराएं धमकी पर

सुरा पखों के लिए मांग

अनियमित अतिविदोहन

अपरिहार्य स्तर तक घटती की जोखिम

कई सुराएं धमकी में पड़ गयी प्रजातियों की सूची में सम्मिलित हैं

कई मिलियन वर्षों से लेकर सुराएं भारी विलुप्ति से बच गयी हैं

लेकिन

वे मत्स्यन दबाव झेलने के लिए सक्षम नहीं हुई हैं

आइ यु सी एन के अनुसार सुराएं अत्यधिक रूप से धमकी में पड़ गयी समुद्री कशेरुकियों में आने वाली मछलियाँ हैं।

यह आकलित किया जाता है कि भौगोलिक तौर पर प्रति वर्ष 100 मिलियन सुराओं को मारा जाता है।

उच्च वार्षिक मृत्यु दर की क्षतिपूर्ति करने के लिए ये जल्दी से पुनरुत्पादन नहीं कर सकती हैं।

समान रूप से धमकी में पड़ गए बंधु

रे और स्केट्स सुराओं से निकट संबंध की मछलियाँ हैं और ये भी अव्यवस्थित मत्स्यन और मानव हस्तक्षेप की वजह से आवास व्यवस्था की अवनति से समान रूप से धमकी में पड़ गयी हैं।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने सुरा, रे और स्केट्स की 10 जातियों को भारतीय वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची I के अंदर सम्मिलित किया है, जिस के अनुसार इन मछलियों का गैरकानूनी मत्स्यन, विदोहन और विपणन मना किया गया है।

पोन्डिचेरी सुरा
कारचार्हिनस हेमियोडोन

गंगा नदी सुरा
ग्लिफिस गांगेटिकस

भाला दांतवाली सुरा
ग्लिफिस ग्लिफिस

तिमि सुरा
रिन्कोडोन टाइपस

गांगस स्टिंग रे
हिमान्चूरा फलूविएटिलिस

पोर्कुपाइन रे
यूरोजिमनस आस्पेरिनस

भीमाकार गिटार मछली
रिन्कोबाटस जिडेन्सिस

हरा आरा मछली
प्रिस्टिस ज़िजस्त्रोन

बडे दांतवाली सुरा
प्रिस्टिस माइक्रोडोन

बडे दांतवाली सुरा
प्रिस्टिस माइक्रोडोन

भारतीय वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची I के अंदर सम्मिलित सुरा, रे और स्केट्स मछलियाँ